

महत्वपूर्ण
बैठकें

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
(मुख्य सचिव गोपनीय कोषांग)

पत्रांक :- 689 / गो.मु.स.

दिनांक:- 07-07-2014

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:-

महाशय,

मुख्य सचिव के स्तर पर होने वाले महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये सूचित करना है कि पूर्व में निर्गत मुख्य सचिव गोपनीय कोषांग के पत्रांक 664/गो.मु.स. दिनांक 01.07.2014 द्वारा निर्गत मुख्य सचिव के स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों के निर्धारित शिड्यूल के क्रमांक 1 से 8 में माह जुलाई, 2014 से निम्नांकित रूप से आंशिक संशोधन किया जाता है ।

क्र०	विषय सूची/प्रसंग	दिवस	समय	नोडल विभाग
1.	वार्षिक योजना की समीक्षा	प्रत्येक माह के द्वितीय वृहस्पतिवार को	पूर्वा० 11.00 बजे	योजना एवं विकास विभाग
2.	कृषि रोड मैप	प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को	पूर्वा० 11.00 बजे	योजना एवं विकास विभाग
3.	उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार - पावर पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग	प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को	पूर्वा० 10.00 बजे से अप० 2.00 बजे तक	उर्जा विभाग
4.	महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग	प्रत्येक माह के चतुर्थ बुधवार को	पूर्वा० 11.00 बजे	योजना एवं विकास विभाग
5.	विशेष योजनाओं की समीक्षा बैठक-(BRGF + RIDF + वित्त आयोग)	प्रत्येक माह के चतुर्थ वृहस्पतिवार को	पूर्वा० 11.00 बजे	वित्त विभाग
6.	वैधिक मामलों के अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) की बैठक (Group-I + II)	प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को	अप० 03.00 बजे	सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग
7.	ए०सी०/डी०सी० विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर समीक्षा बैठक	प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को	अप० 4.00 बजे	वित्त विभाग
8.	खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग	प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय सोमवार को	अप० 4.00 बजे	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
9.	ट्रेप केसेज एवं क्षुब्धाचार निरोध	प्रत्येक माह के तृतीय वृहस्पतिवार	अप० 3.00 बजे (सभाकक्ष) एवं अप० 5.00 (कार्यालय)	सामान्य प्रशासन विभाग

निदेशानुसार अनुरोध है कि संशोधित तालिका के अनुसार संबंधित नोडल विभाग अपने स्तर से बैठक हेतु सूचना निर्गत करते हुए पूर्व की तरह इन सभी बैठकों में भाग लेने की कृपा करेंगे तथा ससमय उपस्थित होने का कष्ट करेंगे ।

विश्वासभाजन,

(एस०एस० ठाकुर)

मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी ।